

RBA No.21/2025

2025/ACII/20/12/e-3493745

New Delhi, Dated: 02.07.2025

The General Managers and FA & CAOs,
All Indian Railways & Production Units.

**Sub: Modification in Appendix II of Indian Railway
Establishment Manual, Volume-I (Revised Edition 1989).**

Advance Correction Slip No.292 regarding changes in the Appendix-II
of Indian Railway Establishment Manual, Volume-I (Revised Edition 1989) is
enclosed herewith.

Kindly acknowledge the receipt.

DA: As above

Digitally signed by

Rajat Agarwal

Date: 02-07-2025

14:19:06

(Rajat Agarwal)

Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No.011- 23047018

Email id :

rajat.agarwal91@gov.in

2025/ACII/20/12/e-3493745

New Delhi, Dated: 02.07.2025

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi. (35 spares)
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-C, Rail Bhavan, New Delhi. (35 spares)
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshan Road, New Delhi. (60 spares)
4. The Secretary General, FROA, Railway Board.(5 spares)

5. The Secretary General, IRPOA, Rail Bhawan New Delhi. (5 spares)
6. The Secretary General, All India RPF Association, Rail Bhawan New Delhi.(5 spares).
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Promotee Officers, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. The General Secretary, All India SC/ST/OBC Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

Digitally signed by
Sadhna Aggarwal
Date: 02-07-2025

14:55:32

For Principal Executive Director (IR)/Railway Board

Copy to:

1. Dy. C&AG (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.
2. GM/Const/NFR, CAO/CE(Const.)/All Indian Railways.
3. AC-I(Comp), AC-III, AC-IV, Code Revision Cell , Accounts Insp. ,Accounts Appropriation, E(NG)I, E(SCT)I & E(LR) branches of Railway Board.

Advance correction Slip No. 292

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, Vol. I (Revised Edition, 1989)

Appendix 2

Para 1 & Para 3 may please be modified as under:

Para 1:

There shall be 2 objective mandatory papers for Appendix II (IREM) examination with the following syllabus:

- a. Elementary Book keeping, English comprehension and Reasoning.
- b. General Rules and Procedure (Covering all areas i.e. Traffic Accounts, General expenditure, Stores and workshop, Books and Budget etc.)

Para 3 :

- a. The examination shall be conducted in CBT mode in coordination with the Examination Conducting Agency (ECA) engaged through RRB.
- b. The examination shall be conducted through a single Nodal Railway for a calendar cycle. The Nodal shall be decided by the Railway Board for each calendar year.

(Authority: Railway Board's letter no. 2025/ACII/2012/e3493745 dated 02.07.2025)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
2025
सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

2025/एसी॥/20/12/ई-3493745

आरबीए सं. 21/2025
नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025

महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-। (संशोधित संस्करण 1989) के परिशिष्ट-॥ में आशोधन।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-। (संशोधित संस्करण 1989), के परिशिष्ट ॥ में आशोधनों से संबंधित अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 292 इसके साथ संलग्न है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

फोन नं.: 011-23047018

ईमेल आईडी: rajat.agarwal91@gov.in

2025/एसी॥/20/12/ई-3493745

नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।

3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, रेलवे बोर्ड (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली, (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

५.

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें) कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महाप्रबंधक/निर्माण/पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मुख्य लेखा अधिकारी/सीई(निर्माण)/सभी भारतीय रेलें।
3. रेलवे बोर्ड की लेखा-1 (संकलन), लेखा-III, लेखा-IV, संहिता संशोधन कक्ष,
लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, ई(एनजी), ई(एससीटी) एवं ई(एलआर) शाखाएं।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 292
भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 (संशोधित संस्करण 1989)
परिशिष्ट 2

पैरा 1 एवं पैरा 3 को कृपया निम्नानुसार आशोधित किया जाए:

पैरा 1:

परिशिष्ट II (भारतीय रेल स्थापना नियमावली) के लिए 2 वस्तुनिष्ठ अनिवार्य प्रश्न-पत्र निम्नलिखित पाठ्यविवरण के साथ होंगे:

- क. प्रारंभिक बहीखाता पद्धति, अंग्रेजी बोध और तार्किक परीक्षा।
- ख. साधारण नियम और कार्यविधि (जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् यातायात लेखा, सामान्य व्यय, भंडार और कारखाना, बहियाँ और बजट आदि।)

पैरा 3:

- क. परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षा आयोजक एजेंसी (ईसीए) के समन्वय से सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी।
- ख. परीक्षा एक कैलेंडर चक्र के लिए एकल नोडल रेलवे द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए नोडल रेलवे का चयन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.07.2025 का पत्र सं. 2025/एसी॥20/12/ई-3493745)